राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2021/2024 एवं 2592/2024

1. अशोक कुमार
2. विनोद कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

निदेशक, स्थानीय निकाय, जी–3, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.06.2024
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक :
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रघुनन्दन शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील संख्या 2021/2024 के तथ्य निम्न प्रकार हैः–

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति 01.06.1990 को दैनिक वेतनभोगी एलडीसी के पद पर हुई थी। 21.09.1990 के आदेश द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं। उसके अनुरोध पर, उसे 01.07.1992 को नाकागार्ड में पुनः पद पर बहाल कर दिया गया था, तथापि अपीलार्थी से लिपिक का कार्य ले लिया गया था। अपीलार्थी को 15.5.1993 से नियमित वेतनमान 750–940 पर नियत किया गया और तदनुसार लाभ प्रदान किए गए। अधिशासी अधिकारी ने 14.6.1993 के आदेश को निरस्त कर दिया और पुनः अपीलार्थी को 22 रुपये प्रतिदिन की दैनिक मजदूरी प्रदान की गई। जब अपीलकर्ता ने नियमित वेतनमान के लिए अनुरोध किया, तो उसकी सेवाएँ आदेश दिनांक 01.02.1994 के अनुसरण में आदेश दिनांक 07.02.1994 द्वारा समाप्त कर दी गईं। अपीलार्थी ने औद्योगिक विवाद उठाया, जिसे श्रम न्यायालय संख्या 1, जयपुर के न्यायनिर्णयन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विद्वान श्रम न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, दिनांक 30.6.1999 को निम्नलिखित निर्णय पारित किया। (अनुलग्नक–2) श्रम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा एलसीआर संख्या 433/1995 में पारित दिनांक 30.6.1999 के पुरस्कार से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6644/1999 दायर किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 30.11.2004 को आदेश पारित किया।

(अनुलग्नक–3) दिनांक 30–11–2004 का आदेश अंतिम हो गया क्योंकि सहायक विधिक सलाहकार ने दिनांक 28–04–2005 को पत्र जारी किया, जिसके द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने नगर पालिका जोबनेर बनाम अशोक कुमार शीर्षक से एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6644/1999 में पारित दिनांक 30–11–2004 के आदेश के विरुद्ध अपील दायर न करने का निर्णय लिया है। (अनुलग्नक–4) माननीय न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6644/1999 में पारित दिनांक 30.11.2004 के अनुसरण में, अपीलार्थी को 01.06.2005 को सेवा में बहाल कर दिया गया था। हालाँकि, माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 30.11.2004 के आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया था कि अपीलार्थी को उस तारीख से चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवानिवृत्त होने का अधिकार होगा, जिस दिन नाका गार्ड का पद समाप्त कर दिया गया था। अर्थात अपीलार्थी की चतुर्थ श्रेणी के पद पर सेवाएं नाका गार्ड के पद पर समाप्ति की तिथि अर्थात 1998 से नियमित सेवा मानी जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलार्थी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेवाएं नाका गार्ड के पद पर समाप्ति की तिथि अर्थात 1998 से नियमित करने के बजाय, उसकी सेवाओं को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 01.6.2012 के अनुसरण में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंडल जोबनेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.6.2012 द्वारा नियमित कर दिया गया। 12.1.2012 को आवेदन किया गया तथा अपीलार्थी को 4750–7440 ग्रेड पे 1300 के वेतनमान में रखा गया। (अनुलग्नक–5 व 6) राजू नाई पुत्र श्री देवकिशन नाई को नगर पालिका जोबनेर में चौकीदार के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन मंडल बैठक दिनांक 08.2.2023 के प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसरण में, राजू नाई पुत्र देवकिशन नाई को 01.1.1992 को नियमित कर दिया गया और उन्हें 750–12–762 के वेतनमान पर रखा गया। राजू नाई को नियुक्त अपीलार्थी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें भी आदेश द्वारा सेवामुक्त कर दिया गया था। उन्होंने रिट पिटीशन संख्या 2849/1992 दायर करके सेवामुक्ति आदेश को चुनौती दी। रिट याचिका को आदेश दिनांक 13–11–1992 द्वारा अनुमति दी गई। राजू नाई का नगर पालिका शाहपुरा में स्थानांतरण हो गया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, शाहपुरा ने दिनांक 10–04–1996 को एक पत्र लिखकर राजू नाई के नियमितीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर ने पत्र दिनांक 28–05–1996 द्वारा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, शाहपुरा को वेतन वृद्धि के बारे में सूचित किया। (अनुलग्नक–7 व 10) माननीय न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6644/1999 में पारित 30.11.2004 के अनुसरण में, अपीलार्थी की सेवाएं नाका गार्ड के पद के समाप्त होने की तिथि से श्रेणी–IV के पद पर नियमित सेवा थी, इसलिए, अपीलार्थी नाका गार्ड के पद के उन्मूलन की तिथि से सभी लाभों के लिए हकदार है। उप

सचिव, स्थानीय निकाय द्वारा जारी पत्र दिनांक 22–03–2000 द्वारा नाका गार्ड का पद समाप्त कर समाहित कर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्ति की तिथि से चतुर्थ श्रेणी के पद पर तथा नाका गार्ड के पद पर नियमित सेवा के रूप में माना जाना चाहिए था तथा चतुर्थ श्रेणी के पद पर समाहित किया जाना चाहिए था, लेकिन अपीलार्थी की सेवाओं को नाका गार्ड के पद पर समाप्ति की तिथि से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित करने के बजाय दिनांक 22–03–2000 के पत्र द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पद पर समाहित कर दिया गया। वर्ष 2000 में अपीलार्थी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसकी सेवाएं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 12.1.2012 के अनुसरण में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मंडल जोबनेर द्वारा दिनांक 01.6.2012 को जारी आदेश दिनांक 06.6.2012 द्वारा नियमित कर दी गई तथा अपीलार्थी को वेतनमान 4750–7440 ग्रेड पे 1300 में रखा गया। (अनुलग्नक–11) स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 12.1.2012 के अनुसरण में, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 12.1.2012 के अनुसरण में अधिसंख्यता के आधार पर छूट आदि के लिए दिनांक 06–09–2022 को पत्र लिखा था। (अनुलग्नक–12) दिनांक 06–09–2022 के पत्र के उत्तर में, उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, स्थानीय निकाय, ने दिनांक 27–03–2023 को पत्र लिखा, जिसके द्वारा, अतिरिक्त पद आदि के सृजन की स्वीकृती देने से इनकार कर दिया गया। (अनुलग्नक–13) इसी प्रकार की परिस्थितियों में, अन्य नगर पालिकाओं, जैसे नगर पालिका बगरू, नगर पालिका श्री माधोपुर और नगर पालिका राजगढ़ में भी अतिरिक्त पदों के सृजन आदि की स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु अपीलार्थी के मामले में भेदभाव किया गया, जो कि अवैधानिक था। (अनुलग्नक–14 व 16) अपीलार्थी ने न्याय की मांग के लिए अपने वकील के माध्यम से 22–02–2024 को पंजीकृत डाक द्वारा एक नोटिस भेजा, लेकिन आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। स्थानीय लाभ निकायों के उप सचिव द्वारा जारी दिनांक 22–03–2000 के पत्र द्वारा नाका गार्ड के पद की समाप्ति की तारीख से अपीलकर्ता की सेवा को नियमित नहीं मानने और तदनुसार 01–06–2012 से कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका, जोबनेर द्वारा जारी दिनांक 06–06–2012 के आदेश द्वारा सेवाओं को गलत तरीके से नियमित नहीं करने की निष्क्रियता और अवैध कार्रवाई के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, अपीलकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है जिसका नंबर एसबीसीडब्ल्यूपी नंबर 5241/2024 है जिसका शीर्षक अशोक कुमार बनाम निदेशक, स्थानीय निकाय है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 22–05–2024 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को अपने निवारण के लिए आरएटी से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निपटारा किया। यदि याचिकाकर्ता 30 दिनों की अवधि के

भीतर आरएटी के समक्ष उपयुक्त याचिका दायर करता है, तो आरएटी यथाशीघ्र, अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, गुण–दोष के आधार पर उस पर निर्णय देगा। (अनुलग्नक–17)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से 22–02–2024 को भेजे गए कानूनी नोटिस पर निर्णय लिया जावे एवं अधिशासी अधिकारी, जोबनेर द्वारा जारी दिनांक 06–06–2012 के आदेश को निरस्त किया जाए, जिसके तहत नगर पालिका की सेवाओं को 01–06–2012 से गलत तरीके से नियमित किया गया था। उप निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, स्थानीय निकाय द्वारा जारी दिनांक 27–03–2023 के आदेश को निरस्त किया जाए और उसे निरस्त किया जावे, जिसके तहत अतिरिक्त पद आदि के सृजन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलार्थी की सेवाओं को नाकागार्ड दिनांक 22–03–2000 के अनुसरण में पद के उन्मूलन से चयन ग्रेड सहित सभी लाभों के लिए गिना जाए। प्रत्यर्थी विभाग 22–03–2009 से प्रथम चयन ग्रेड तथा 22–03–2018 से द्वितीय चयन ग्रेड का लाभ प्रदान करने तथा तदनुसार अन्य लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जावे एवं अपीलार्थी की सेवा को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 01–06–2090 से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए गिना जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि श्री अशोक कुमार को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में दायर रीट याचिका संख्या एसबी सिविल रीट पीटीशन न. 6644/99 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2004 की अनुपालना में श्री शर्मा को दिनांक 06.01.2005 को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया था। नियुक्ति दिनांक 06.01.2005. से निरन्तर कार्य कर रहे थे। श्रीमान निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पत्रांक प. 8 ()क) या() डीएलबी/99/3359 दिनांक 28.04. 2005 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रीट याचिक सं. 6644/99 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.04 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा अपील नही करने का निर्णय लिया गया। श्रीमान निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पत्रांक प. 8 ()क या () डीएलबी/99/3359 दिनांक 28.04.2005 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर रीट याचिक सं. 6644/99 में पारित निर्णय दिनांक 30.11.04 के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा अपील नही करने का निर्णय लिया गया। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसुचना 9349 दिनांक 27.01.2011 एंव 19850 दिनांक 02.11.2011 के अन्तर्गत गठित कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.20012 को आयोजित की गई थी। जिसमें श्री शर्मा को नगर पालिका जोबनेर में प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.06.1990 की तिथी को नाका गार्ड पद की समस्त योग्यताऐ धारण करते थे। चुंगी समाप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा नाका गार्ड पदो

को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में समायोजित किये जाने के कारण कमेठी सर्वसम्मति से श्री शर्मा को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित करती है का उल्लेख अंकित है। कमेठी द्वारा बजट वर्ष 1990–91 से 2011–12 तक विधिवत स्वीकृ त पद की स्वीकृति लेने हेतु एंव श्री शर्मा का व्यवधान सेवाकाल की निरन्तरता की स्वीकृति प्राप्त हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया था। पत्र प्रस्थानगी पंजिका वर्ष 2011–12 की क.स. संख्या 2588 दिनांक 25.01. 2012 पर श्रीमान निदेशक महोदय स्थानीय निकाय विभाग राज, जयपुर को चतुर्थ श्रेणी एंव सफाई कर्मचारीयों के पदों की स्वीकृति चाहने बाबत् टिप्पणी अंकित की हुई है। परन्तु उक्त पत्र एंव पत्र की प्राप्ति पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। विभागीय अधिसुचना क्रमांकः एफ. 8 (जीए)/रूल्स/डीएलबी /012/2848 दिनांक 18.04.2012 के उपनियम 12 के पैरा नं. 3 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिस दिनांक को नियमितिकरण किया जा रहा है। उस दिनांक को पद रिक्त होना आवश्यक है। पालिका रिकोर्ड के अनुसार नगर पालिका में पूर्व से ही एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक चौकिदार, एक बागवान का पद वर्तमान में रिक्त है। समय–समय पर पद स्वीकृत किये गये है। उक्त अधिसुचना की अनुपालना में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका जोबनेर की स्वीकृति पश्चात् पालिका कार्यलय आदेश क्रमांक 371–379 दिनांक 06.06. 2012 के द्वारा श्री अशोक कुमार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन श्रृखलां 4750–7440 ग्रेड पे–1300 पर नियमितिकरण किया गया है जिसका आदेश पत्रावली में संलग्न है। सेवा पुस्तिका के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार निरन्तर सेवा मानने पर पूरानी पेंशन नियमो के अन्तर्गत वेतन भुगतान दिनांक 01.06. 2012 से निरन्तर नियमानुसार किया जा रहा है। स्क्रेनिंग कमेठी में वर्णितानुसार श्री अशोक कुमार पद सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर निदेशालय के पत्रांक 16063 दिनांक 17. 07.2017 के द्वारा सुचना चाहने पर पालिका पत्रांक 1487 दिनांक 29.09.2017 के द्वारा सुचना भिजवाई गई थी। निदेशालय द्वारा बार–बार सुचना चाहने पर पालिका द्वारा समय–समय पर सुचना निदेशालय को भिजवाई जाती रही है। निदेशालय के पत्रांक 994 दिनांक 27.03.2023 में वर्णितानुसार विभागीय अधिसुचना दिनांक 18.04.2012 की अनुपालना में स्केनिंग कमेठी के निर्णय अनुसार व्यवधान काल की अवधि बजट वर्ष में छाया पदो की स्वीकृति एंव दो से अधिक सन्तानो की शिथिलता/स्वीकृति नहीं दी जा सकती है का वर्णन अंकित है। अधिसुचना की अनुपालना में अध्यक्ष महोदय नगर पालिका जोबनेर की स्वीकृति पश्चात् पालिका कार्यलय आदेश क्रमांक 371–379 दिनांक 06.06.2012 के द्वारा श्री अशोक कुमार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर वेतन श्रृखलां 4750–7440 ग्रेड पे–1300 पर नियमितिकरण किया गया है जिसका आदेश पत्रावली में संलग्न है। सेवा पुस्तिका के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार निरन्तर सेवा मानने पर

पूरानी पेंशन नियमो के अन्तर्गत वेतन भुगतान दिनांक 01.06.2012 से निरन्तर नियमानुसार किया जा रहा है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब का उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह कि दिनांक 30–06–1999 (अनुलग्नक–2) का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया गया था, लेकिन गार्ड के एसबीसीडब्ल्यूपी निर्णय का पालन करने के बजाय, प्रत्यर्थी विभाग ने संख्या 6644/1999 दायर किया, जिसमें निर्णय को संशोधित किया गया और माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ''संबंधित कर्मचारी नाका गार्ड का पद समाप्त होने की तिथि से चतुर्थ श्रेणी के पद पर बहाल होने के हकदार होंगे''। नाका का पद वर्ष 1998 में समाप्त कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी को कम से कम 1998 से नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माना जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने पहले ही अपीलार्थी के पक्ष में निर्णय दे दिया है, जिसके बाद से अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी का माना जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, ''संबंधित कर्मचारी नाका गार्ड का पद समाप्त होने की तिथि से चतुर्थ श्रेणी के पद पर बहाली के लिए पात्र होंगे''। नाका गार्ड का पद वर्ष 1998 में समाप्त कर दिया गया था, इसलिए अपीलार्थी को कम से कम 1998 से नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी माना जाना चाहिए, लेकिन प्रतिवादियों ने उन्हें लाभ और सेवाएँ प्रदान नहीं कीं, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से वर्ष 1998 के बजाय 01–06–2012 से नियमितीकरण कर दिया।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को 01.06.1990 को दैनिक वेतनभोगी के रूप में नया जोबनेर में लिपिक लगाया गया एवं उसकी सेवा 21.09.1990 द्वारा समाप्त कर दी गई। पुनः 01.07.1992 को उसे नाकागार्ड पर लगाया गया एवं उसे 15.05.1993 को नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन स्वीकृत किया जिसे आदेश दिनांक 14.06.1993 द्वारा निरस्त कर दिया एवं 22/– दैनिक मजदूरी पर रखा गया। आदेश दिनांक 07.02.1994 द्वारा उसकी सेवाएं 01.02.1994 से समाप्त कर दी गई। जिस पर उसका प्रकरण औद्योगिक निवाद के रूप में श्रम न्यायालय संख्या 1 पर में विचारण किया गया, जिसमें श्रम न्यायालय द्वारा 30.06.1999 को निम्न अवार्ड पारित कियाः–

''अशोक कुमार को विपक्षी प्रबंधकगण द्वारा दिनांक 01.2.1994 से सेवा से पृथक करना न्यायोचित एवं वैध नहीं है। इन्हें सेवा में नियोजित किया जाता है. इनकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है तथा इन्हें सेवा पृथक दिनांक से अवार्ड दिनांक तक की समस्त वेतन, वह देय होगा जो वे निरन्तर सेवा में रहने हुये प्राप्त करते अर्थात इनकी छंटनी नहीं की गई होती। अवार्ड दिनांक के बाद से

प्रार्थीगण वह वेतन व लाभ प्राप्त करेंगें जो इनसे जूनियर श्रमिक जो इनकी श्रेणी के नाकागार्ड के पद पर कार्यरत हैं, आज प्राप्त कर रहे हैं।''

प्रत्यर्थी विभाग के उक्त अवार्ड के विरूद्ध उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका एसबीसीडब्ल्यू 6644/1999 दायर की जिसमें 30.11.2004 को निम्न आदेश पारित कियाः—

"The writ petition is partly allowed. The impugned award dated of 30-6-1999 is modified to the extent that the concerned workmen shall be entitled for reinstatement on the post of Class IV from the date the post of Naka Guard was abolished- However, both the concerned workmen shall be entitled for salary last drawn them on the date termination from the date of award dt- 30-6-1999 till the post was abolished. The petitioners are directed to reinstate the concerned workmen on the post of Class-IV within 30 days from the date of receipt of certified copy of this order and also made the payment of salary, as ordered above, within 30 days thereafter, the concerned workmen shall not be entitled for any benefits prior to the date of award".

इस आदेश के विरूद्ध अपील दायर नहीं करने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसकी सेवाएं उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 1998 से च.श्रेणी के पद पर नियमित की जानी चाहिए क्योंकि 1998 में नाकागार्ड के पद समाप्त हो गए थे। जबकि प्रत्यर्थी विभाग ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 12.01.2012 में लिए गए निर्णय के आधार पर अपीलार्थी की सेवाएं आदेश दिनांक 06.06.2012 द्वारा 01.06.2012 से नियमीतकरण की गई है। उनका कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका 6644/99 में पारित निर्णय के अनुसार अपीलार्थी की सेवाएं नाकागार्ड का पर समाप्ति तिथी से च. श्रेणी के पद पर नियमित है। नाकागार्ड के पद दिनांक 22.03.2000 के द्वारा समाप्त होने से अपीलार्थी की सेवाएं उक्त तिथी से च. श्रेणी के पद पर मानी जावे। एवं तदनुसार सेवा परिलाभ एवं चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृत की जावे। अपीलार्थी के संबंध में जारी नियमीतीकरण आदेश दिनांक 06.06.2012, राज्य सरकार द्वारा Supernumary पद स्वीकृत करने से मना करने का पत्र दिनांक 27.03.2023 को अपास्त करने तथा अपीलार्थी की सेवाएं 22.03.2000 से नियमित मानते हुए उसे तदनुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत करने एवं प्रथम नियुक्ति तिथी 01.06.1990 से सेवा की गणना कर पेंशन परिलाभ स्वीकृती का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग के जोबनेर के जवाब/कथनों से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबीसीडब्ल्यू पिटिशन संख्या 6644/1999 में पारित निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया एवं नियुक्ति दिनांक 06.01.2005 से निरंतर कार्यरत है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया। स्वायत्त शासन विभाग की अधि सूचना दिनांक 27.01.2011 एवं 02.11.2011 के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेठी

की बैठक दिनांक 12.01.2012 को आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 1990–1991 से 2011–12 तक की अवधि में एक पद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया। विभागीय अधिसूचना 18.04.2012 के उपनियम 12 से पैरा न. 3 में यह उल्लेख है कि जिस दिनांक को नियमितीकरण किया जा रहा है उस दिनांक को पद रिक्त होना आवश्यक है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं उभयपक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के प्रथम नियुक्ति दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हुई एवं उसकी सेवाएं समाप्ति के पश्चात पुनः 01.07.1992 से नाकागार्ड के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया एवं उसकी सेवाएं 01.02.1994 से समाप्त करने पर प्रकरण में श्रम न्यायालय जयपुर प्रथम में निचारण का अवार्ड दिनांक 30.06.1999 पारित किया, जिसमें सेवा समाप्ति आदेश दिनांक 1.02.1994 को न्यायोचित एवं वैद्य नहीं माना है। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग ने रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की रिट याचिका 6644/1999 में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका को आंशिक स्वीकार निम्न निर्देश पारिए किएः–

(i). The concerned workmen shall be entitled for reinstatement on the post of Class-IV from the date the post of Naka Guard was abolished.

(ii). However, both the concerned workmen shall be, entitled for salary last drawn by them on the date of termination from the date of award, i. e. 30.6.1999 till the post was abolished.

(iii). The petitioners are directed to reinstate the concerned workmen on the post of Class-IV within 30 days from the date of receipt of certified copy of this order and also make the payment of salary as orderd above, within 30 days thereafter.

(iv). The concerned workmen shell not be entitled for any

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2004 के अवलोकन से स्पष्ट नाकागार्ड का पद समाप्त होने कारण अपीलाथी को च. श्रेणी के पद पर बहाली का आदेश दिया परंतु अपीलार्थी को सेवा समाप्ति से अवार्ड पारी होने की बीच की अवधि का कोई परिलाभ का पात्र नहीं माना है। च. श्रेणी के पद पर सेवाए बहाल करने का आशय यह नहीं है कि च. श्रेणी पर उसकी सेवाएं नियमित मानी जायेगी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अपीलार्थी के सेवाएं नियमित करने/मानने के संबंध में कोई आदेश नहीं है। वस्तुतः यह पूरा विवाद दैनिक वेतन भोगी के रूप से सेवाएं समाप्त करने का था। अतः अपीलार्थी का यह कथन मानने

योग्य नहीं है कि च. श्रेणी के रूप में उसकी सेवाएं नियमित कर्मचारी के रूप में मानी जावे। नाकेदार का पद समाप्त होने के कारण च. श्रेणी के पद पर सेवाएं बहाल का आदेश दिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि न पा जोबनेर में वर्ष 1990–91 से 2011–12 तक च. श्रेणी का पद रिक्त नहीं था। किसी पद पर सेवाओं का नियमितीकरण सभी संभव है जबकि वह पद रिक्त उपलब्ध हो। माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका 6644/99 में अपीलार्थी को अवाई तिथी से पहले की अवधि के लिए किसी भी परिलाभ का पात्र नहीं माना है। अतः अपीलार्थी उसकी प्रथम नियुक्ति तिथी से सेवांए नियमितीकरण कराने एवं प्रथम नियुक्ति तिथी से पेंशन परिलाभ हेतु सेवा की गणना कराने का हकदार नहीं है।

अपीलार्थी की सेवाएं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.01.2011 एवं 02.11.2011 द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंषा पर आदेश दिनांक 06.06.2012 द्वारा 01.06.2012 द्वारा चयनित वेतनमान स्वीकृति नियमानुसार है। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाही नियम संगत एवं विधिनुसार जिसमें हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन एवं बलहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष